कार्यालय-- प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया

पत्रांक-- मे0का0दे0 / विज्ञप्ति / संविदा / सीनियर रेजिडेन्ट / 2024--25 / 1030 दिनांक-- 29/08/24

विज्ञप्ति

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के सीनियर रेजिडेन्ट (संविदा) के पदो पर वेतनमान रुपये 15600--39100 एवं ग्रेड वेतन रुपये 6600.00 में वाक--इन इन्टरव्यू के आधार पर 01 वर्ष के लिए निम्नलिखित विभागो में चयन किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं उनकी एक--एक स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो--दो सेट, बायोडाटा व चार रंगीन फोटो के साथ साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत हो सकते है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से जब तक रिक्त पदो की पूर्ति नही हो जाती है तब तक प्रत्येक बुधवार को प्रधानाचार्य कार्यालय महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में प्रातः 10बजे से 2 बजे के मध्य साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो। पदो का विवरण निम्नवत है--

क्र0स0	विशिष्टता	UR	OBC	SC	ST	EWS	Total
1	आर्थोपेडिक्स	-	-	1	-	-	1
2	आप्थालमोलॉजी	-	-	-	-	-	0
3	आब्स्ट्रेक्सि एण्ड गाइनकोलॉजी	-	1	-	-	-	1
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	-	1	1	-	1	3
5	एनेस्थीसियोलॉजी	-	-	1	-	-	1
6	ओटो--राइनो--लेरिंगोलॉजी	1	-	-	-	-	1
7	कॅम्युनिटी मेडिसिन	-	1	-	-	-	1
8	जनरल मेडिसिन	1	1	1	-	-	3
9	जनरल सर्जरी	-	1	-	-	1	2
10	टयुबरकुलेसि एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन / पल्मोनरी मेडिसिन	-	-	1	-	-	1
11	डमेटोलॉजी वेरेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	-	-	-	0
12	डेन्टिस्ट्री	-	-	-	-	-	0
13	पीडियाट्रिक्स	1	-	-	-	-	1
14	पैथोलॉजी	-	1	1	-	-	2
15	फार्माकोलॉजी	-	1	-	-	-	1
16	फोरेन्सिक मेडिसिन	-	-	-	-	1	1
17	माइक्रोबायोलॉजी	1	1	1	-	-	3
18	रेडियोडग्नोसिस	1	-	1	-	-	2
19	साइकियाट्री	-	1	-	-	-	1
	योग	5	9	8	0	3	25

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू है, संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है।

01. इस हेतु आवेदक को वर्तमान में एन0एम0सी0 के नवीनतम मानको के अनुसार निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
02. वेतन के सम्बन्ध में समय पर जारी शासनदेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी प्रकार के भत्ते बोनस एवं पेंशन सम्बंधित सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
03. सीनियर रेजिडेन्ट की शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा निहित अनुसार होगी।
04. ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
05. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले सीनियर रेजिडेन्ट को मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकस्मिक / आपदा सेवाओ के लिए ड्यूटी पर उपलब्ध रहना होगा।

06. संविदा पर नियुक्त/कार्यरत सीनियर रेजिडेन्ट की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती/स्थानान्तरण के माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।

07. ऐसे सीनियर रेजिडेन्ट का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित सीनियर रेजिडेन्ट उपलब्ध न होने पर आवश्यकता अनुसार इनकी संतोषजनक सेवा के अधार पर सेवा पुनः बढ़ाया जा सकता है। सीनियर रेजिडेन्ट के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष के कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।

08. संविदा पर नियुक्त सीनियर रेजिडेन्ट को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।

09. संविदा पर कार्यरत सीनियर रेजिडेन्ट भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नही होगा।

10. साक्षत्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकुल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

11. शासनादेश सं0-367/71-1-2020-जी-195/2015 टी0सी0 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी 2020 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदो के रिक्तियों पर आरक्षण के अनुरूप उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित वर्गो के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। संविदा से सम्बंधित नियम एवं शर्ते समय पर उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार अनुमन्य होगी।

12. इस विज्ञप्ति के रिक्त पदों का विवरण प्रत्येक मंगलवार (कार्य दिवस) को सायं कालीन कालेज नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाएगा।

नोट– साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय,देवरिया।

पत्रांक– मे0का0दे0/विज्ञप्ति/संविदा/सीनियर रेजिडेन्ट/2024–25/ 1030 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन,लखनऊ।
03. मंडलायुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर।
04. जिलाधिकारी ,देवरिया।
05. विज्ञापन प्रबंधक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला एवं टाइम्स आफ इंडिया देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश संस्करण में पठनीय न्यूतम माप विज्ञापित करने के पश्चात जिला सूचना अधिकारी देवरिया द्वारा बिल सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित करें।
06. वेबसाइट इंचार्ज, महर्षि देवरहा बाबा स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया की वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित की इस विज्ञपित को वेबासाइट पर प्रकाषित करना सुनिश्चित करें।
07. समस्त नोटिस बोर्ड, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

29/8/24

प्रधानाचार्य
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय,देवरिया।